छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1–106/राजस्व/राहत/2013/619 रायपुर, दिनांक 26/06/2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः–राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 दिनांक 02.04.2013 तक यथासंशोधित की प्रति भेजने बाबत्।

संदर्भः–इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–128/राजस्व/राहत/2007/507 दिनांक 22.06.2012 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 313 दिनांक 02.04.2013

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। भारत सरकार, गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के मापदण्डों में किये गये संशोधन अनुसार संदर्भित पत्रों द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 में आवश्यक संशोधन जारी किये गये है। उक्त परिपेक्ष्य में दिनांक 02.04.2013 तक यथासंशोधित राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

26/6/13

(वॉय.पी. दुपारे)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ–1–106 /राजस्व/राहत /2012/620 रायपुर दिनांक 26/06/2013

प्रतिलिपि :

1. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर ।
2. माननीय मुख्यमुंत्रीजी के प्रमुख सचिव छत्तीसगढ. शासन रायपुर ।
3. समस्त माननीय मंत्रीगण / संसदीय सचिव छत्तीसगढ. शासन रायपुर ।
4 मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
5 समस्त अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, छ0ग0शासन, मंत्रालय रायपुर।
6 अध्यक्ष , राजस्व मंडल छत्तीसगढ. बिलासपुर ।
7 श्री देव कुमार, निर्देशक (डी.एम.–1), भारत सरकार, गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन प्रभाग,हॉल–बी, तीसरा तल, एन.डी.सी.सी.–2, जयसिंह रोड नई दिल्ली–110001
8 महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर ।
9. संभागीय आयुक्त रायपुर , बिलासपुर ,बस्तर एवं सरगुजा छत्तीसगढ़ ।
10 संचालक जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ रायपुर
11 राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12 समस्त जिला कोषालय अधिकारी छत्तीसगढ.।

26/6/13
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

No. 685 Date 27/6/13 N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR

TD(YUS)
27/6/13

NRrhlx<+ 'kklu

jktLo ,oa vkink izca/ku foHkkx

राजस्व पुस्तक परिपत्र

6–4

संशोधित

(दिनांक 02.04.2013 तक यथासंशोधित)

NRrhlx<+ 'kklu]
jktLo ,oa vkink izcU/ku foHkkx
¼jktLo iqLrd ifji= [k.M 6 dzekad 4½
¼fnukad 02-04-2013 rd ;Fkk la'kksf/kr½

विषयः प्राकृतिक प्रकोपों से हुई फसल क्षति, मकान क्षति, जनहानि, पशुहानि एवं अन्य क्षतियों के लिए आर्थिक सहायता ।

———00———

प्राकृतिक प्रकोपों जैसे—अतिवृष्टि, ओला, पाला, शीतलहर, टिड्डी, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, भू—स्खलन, बादल का फटना, मिट्टी या बर्फ का पहाडों से खिसकना, सुनामी, कीट प्रकोप एवं अग्नि दुर्घटनाओं से फसल को नुकसान तथा जनहानि और पशुहानि होती है। अग्नि दुर्घटना में कृषक की फसल या मकान के जलने से हानि होती है और व्यक्तियों और पशुओं के जल जाने से जनहानि एवं पशुहानि भी होती है। कभी—कभी दुकानों में आग लग जाने से छोटे दुकानदारों को बेरोजगार हो जाना पड़ता है । प्राकृतिक प्रकोपों से कई मामलों में कृषक बेघर हो जाते हैं । इन सब परिस्थितियों में शासन का यह दायित्व हो जाता है कि संबंधित पीड़ित को तत्काल अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये, जिससे संबंधित पर आई विपदा का मुकाबला करने के लिए उनमें मनोबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सकें ।

2. पूर्व में राज्य शासन द्वारा अलग—अलग प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के निर्देश दिये गये हैं, तथा मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, फिर भी विगत वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुई व्यापक हानि के संदर्भ में यह महसूस किया गया है कि वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता के मापदण्डों के बारे में पूर्ण रूप से विचार किया जाकर उनमें संशोधन करना आवश्यक है। प्राकृतिक प्रकोपों से कृषक, भूमिहीन व्यक्ति तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो क्षति होती है, उसके संदर्भ में शासन की ओर से ऐसी व्यवस्था हो, जिससे कि उपयुक्त समय में समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके ।

3. राज्य शासन की ओर से इस परिपत्र के अन्तर्गत जो आर्थिक सहायता के मानदण्ड निर्धारित की गई है, उसका उद्देश्य पीडितो को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, न कि संबंधित को हुई क्षति की पूर्ण प्रतिपूर्ति मुआवजे के रूप में प्रदान करना है किन्तु यह भी आवश्यक है कि ऐसे मामलों में जिनमें किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण बहुत अधिक लोगों एवं परिवारों को ऐसी हानि हुई जिसमें वे बेघर एवं बेरोजगार हो गये हैं, वहां पर्याप्त राहत पहुंचाई जाये।

4. जब कभी प्राकृतिक प्रकोपों से कोई हानि होती है तब पटवारी, ग्राम पटेल एवं कोटवार, जो कि स्थानीय राजस्व कर्मचारी है, का यह प्रमुख दायित्व होगा कि वे क्षेत्र के राजस्व अधिकारी यथा नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी को इस बात की तत्काल सूचना दें तथा ये अधिकारी मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिले के कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त को आवश्यक

रिपोर्ट तत्काल दें। इसी के साथ–साथ तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का यह दायित्व एवं कर्तव्य भी है कि वे जिस क्षेत्र में इस तरह की हानि हुई है, वहां मौके पर तत्काल पहुॅचकर क्षति का आंकलन करने के साथ–साथ तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठावें। यदि क्षति हुई है तो शासन द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की तत्काल कार्यवाही करें साथ ही स्थानीय व्यक्तियों एवं स्थानीय संस्थाओं से जो जन सहयोग के रूप में सहायता देने को तैयार हैं, उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता को तत्काल पीड़ितों को उपलब्ध कराएॅ ।

5. तहसीलदार, अपने तहसील कार्यालय में संलग्न प्रारूप फार्म 3 में एक पंजी संधारित करेंगे जिसमें उनके क्षेत्राधिकार में प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि और उपलब्ध कराई गई सहायता का पूर्ण विवरण रखा जायेगा ।

6. यदि प्राकृतिक प्रकोपों से क्षति केवल किसी कृषक विशेष या व्यक्ति विशेष को ही हुई है तो संबंधित व्यक्ति निर्धारित संलग्न फार्म 2 में आवेदन–पत्र तहसीलदार के दे सकेंगे। तहसीलदार आवेदन–पत्र के तथ्यों को पूर्ण जांच कर निर्धारित सहायता की पात्रता सुनिश्चित करेंगे। व्यापक रूप आपदा के मामले में प्रभावित व्यक्तियो द्वारा आवेदन देना अनिवार्य नही होगा। बल्कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्वयं प्ररेणा से प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर आर्थिक सहायता के प्रकरण तैयार किये जायेंगे। यदि सहायता की राशि तहसीलदार के वित्तीय अधिकारी की सीमा में है तो 10 दिन के भीतर सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। और यदि प्रकरण तहसीलदार की वित्तीय अधिकार की सीमा से अधिक राशि का है तो यथास्थिति प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी/कलेक्टर/संभागीय आयुक्त या शासन की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। पीडितों को सहायता राशि आवेदन पत्र देने के 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो जाय। इसका पूरा ध्यान रखा जाये।

7. जिन मामलों में प्राकृतिक प्रकोप से हुई हानि के कारण पीड़ित परिवार को पुनर्स्थापित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है, उनमें संबंधित पीड़ित व्यक्ति को संलग्न प्रारूप फार्म 1 में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा।

8. इस परिपत्र के परिशिष्ट 'एक' के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता तथा ऋण उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

9. प्रत्येक मामले में प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत करने के वित्तीय अधिकार निम्नानुसार होंगे :–

1.	संभागीय आयुक्त	7.50 लाख रूपये से अधिक
2.	कलेक्टर	7.50 लाख रूपये तक
3.	अनुविभागीय अधिकारी	2.00 लाख रूपये तक
4.	तहसीलदार	1 लाख रूपये तक

इसी तरह पीड़ित को जिन मामलों में ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं उनमें वित्तीय अधिकार निम्नानुसार होंगे :–

1.	संभागीय आयुक्त	1 लाख रूपये से अधिक
2.	कलेक्टर	1 लाख रूपये तक
3.	अनुविभागीय अधिकारी	50 हजार रूपये तक

10. इस परिपत्र के अनुसार, 'राजस्व अधिकारी' से आशय किसी ऐसे संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से है जिसका क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्र में हो जहां प्राकृतिक प्रकोप से क्षति हुई है।

11. ऐसे मामले जिनमें पीड़ित व्यक्ति जिसकी झोपड़ी/मकान या पशुशाला नष्ट हो गई है, उसे झोपड़ी/मकान या पशुशाला बनाने के लिये निःशुल्क बांस एवं बल्ली उपलब्ध कराई जायेंगी। तहसीलदार निकटतम वन डिपो के रेन्जर को इस आशय की सूचना देंगे कि संबंधित पीड़ित को कितने बांस एवं कितनी बल्लियां दी जाएं। संबंधित वन डिपो इन्चार्ज का यह कर्त्तव्य होगा कि वह तत्काल समुचित मात्रा में बांस बल्लियां पीड़ित व्यक्ति को प्रदान करें। ऐसे मामलों में अधिकतम मात्रा 50 बांस एवं 30 बल्ली प्रति मकान (पशुशाला सहित) दी जा सकेंगी। बांस बल्ली की डिपो से गन्तव्य स्थान तक ढुलाई व्यय की प्रतिपूर्ति पीड़ित व्यक्ति को अलग से की जावेगी जो कि वास्तविक ढुलाई व्यय के अनुसार होगी किन्तु अधिकतम राशि रू.1000.00 (रूपये एक हजार) मात्र से अधिक नहीं होगी ।

12. अग्नि दुर्घटनाओं में आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के उपयोग से संबंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति मांग संख्या–58 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, मुख्यशीर्ष 2245–प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत 01–सूखा–101–निःशुल्क सहायता–96–अग्नि पीड़ितों को राहत आयोजनेत्तर से की जायेगी ।

13. बाढ़ नियंत्रण के कार्य के लिए सेना की सहायता प्राप्त करने पर परिवहन का जो भी व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित जिले के कलेक्टर मांग संख्या–58 के मुख्यशीर्ष–2245 से कर सकेंगे ।

14. इस परिपत्र के अन्तर्गत दी जाने वाली समस्त प्रकार की सहायता अनुदान की राशि मांग संख्या 58 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत पर व्यय मुख्यशीर्ष–2245 प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

15. राजस्व अधिकारियों को प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि का आंकलन करने एवं पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही में माननीय जनप्रतिनिधियों का अधिक से अधिक विश्वास एवं सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये ।

16. प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि के लिये मांग संख्या–58 मुख्य शीर्ष–2245 में यदि आबंटन उपलब्ध न हो तो कलेक्टर शासन से आबंटन प्राप्त होने की प्रत्याशा में पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक राशि उक्त शीर्ष से आहरित करने के आदेश दे सकेंगे तथा शासन को आबंटन उपलब्ध कराने हेतु तत्काल मांग पत्र भेजेंगे ।

17. बगैर सूचना के बांधों का पानी छोड़ने पर प्रभावितों को अनुदान सहायता राशि दी जावे ।

18. यह संभव है कि प्राकृतिक विपत्ति से निपटने के लिये या राहत देने के लिये किसी स्थिति का इस परिपत्र में समावेश न हुआ हो, ऐसा होने पर कलेक्टर तुरन्त शासन से सिफारिश करते हुए योग्य आदेश प्राप्त करेंगे ।

19. इस परिपत्र के अन्तर्गत देय अनुदान सहायता राशि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित सभी पात्र व्यक्तियों को, चाहे वे राजस्व ग्रामों के निवासी हों या वनग्रामों के निवासी हों, देय होगी। वनग्रामों में भी क्षति का सर्वेक्षण एवं अनुदान सहायता राशि के वितरण का दायित्व संबंधित राजस्व अधिकारी का होगा जिसका निर्वहन वह संबंधित वन अधिकारी के सहयोग से करेगा ।

20. इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से पूर्व में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के अन्तर्गत जारी किये गये सभी निर्देश निरस्त माने जायेंगे ।

ifjf'k"V&1

fo"k;%&iwdfrd idki ls gkus okyh fofHkUu idkj dh gkfu ds fy;s 'kklu }kjk nh tkus okyh lgk;rk dh jkf'k vkj mlds fy;s fu/kkfjr ekin.MA

¼,d½&^d* Qly gkfu ds fy, vkfFkd lgk;rk &

d-	dqy [kkrs dh /kkfjr d`f"k Hkwfe ds vk/kkj ij [kkrsnkj@d`"kd dh Js.khA	50 izfr'kr vf/kd Qly {kfr gksus ij nh tkus okyh vuqnku lgk;rkA	
1	2	3	4
1-	लघु एवं सीमांत कृषक 0 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/खातेदार को (कृषि, बागवानी और वार्षिक वृक्षारोपण फसल)	वर्षा आधारित फसल क्षति हेतु रूपये 3000/– (रूपये तीन हजार) प्रति हेक्टेयर	सिंचित क्षेत्र के लिए रूपये 6000/– (रूपये छः हजार) प्रति हेक्टेयर
		कम से कम बुआई क्षेत्र अनुसार न्यूनतम रूपये 500/– (रूपये पॉच सौ) मात्र लघु एवं सीमान्त कृषको के लिए	
2-	बारहमासी फसलो के लिए लघु एवं सीमांत कृषक 0 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले	वर्षा आधारित/सिंचित क्षेत्र के लिए रूपये 8000/– (रूपये आठ हजार) प्रति हेक्टेयर कम से कम बुआई क्षेत्र अनुसार न्यूनतम रूपये 1000/– (रूपये एक हजार) मात्र लघु एवं सीमान्त कृषको के लिए	
3-	रेशम फसल के लिए लघु एवं सीमांत कृषक 0 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले	वर्षा आधारित/सिंचित क्षेत्र के लिए रूपये 3200/– (रूपये तीन हजार दो सौ) प्रति हेक्टेयर ईरी, मलबरी, टसर तथा मूंगा फसल हेतु रूपये 4000/– (रूपये चार हजार) प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता देय होगी।	
4-	लघु एवं सीमांत कृषक 0 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/खातेदार को (3'' इंच से अधिक मोटी गाद हटाने)	प्राकृतिक आपदा बाढ़ की स्थिति में कृषि योग्य भूमि वाले खेतो में कम से कम 3'' इंच रेत, पत्थर, गाद आदि की सफाई हेतु रूपये 8100/– प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता प्रदान की जावें ।	
5-	लघु एवं सीमांत कृषक 0 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/खातेदार को (पहाड़ी क्षेत्रो से डेबरी हटाना और फिश फार्म से गाद हटाना व उनकी मरम्मत)	प्राकृतिक आपदा के समय पहाड़ी क्षेत्र से डेबरी हटाना एवं मत्स्य पालन क्षेत्र क्षतिग्रस्त या मलवा भर जाने पर सफाई या मरम्मत हेतु रूपये 8100/– प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता की पात्रता होगी (नोट अन्य शासकीय योजना में प्रावधान अथवा सहायता नही होने पर ही उक्त अनुदान सहायता देय होगी)	
6-	लघु एवं सीमांत कृषक 0 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/खातेदार को (भूमि कटाव, भू–स्खलन एवं एवलांच, नदी बहाव में बदलाव)	भू–स्खलन, पहाडों से बर्फ का खिसकना, नदी के बहाव में बदलाव आना एवं एवलांच की स्थिति में विधिक भूमिस्वामी लघु एवं सीमान्त कृषक को रूपये 25000/– प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता देय होगी।	

7-	y?k ,o lhekr d"kdk dk NkMdj अन्य कृषकों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर प्रति कृषक 1 हेक्टेयर और लगातार सिलसिलेवार आपदा होने पर 2 हेक्टेयर तक	रूपये 3000/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित क्षेत्र हेतु, रूपये 6000/– प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हेतु, एवं रूपये 8000/– प्रति हेक्टेयर बारामासी फसलों के लिए मात्र अन्य कृषकों हेतु जो लघु एवं सीमांत नही है। अधिकतम रूपये 18000/– अनुदान सहायता देय होगी ।
8-	4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक धारित करने वाले कृषकों के लिए अनुदान सहायता।	रूपये 3000/– प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता, 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक फसल क्षति होने पर ।
9-	4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक धारित करने वाले कृषकों के लिए अनुदान सहायता।	75 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पररूपये 6000/– प्रति हेक्टयर सिंचित क्षेत्र के लिए अनुदान सहायता राशि दी जाय। अधिकतम रूपये 36000/– होगी।
		75 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर रूपये 3000/– प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र के लिए अनुदान सहायता देय होगीं, अधिकतम रूपये 36000/– होगी।
10-	पटसन फसल की क्षति होने पर अनुदान सहायता।	रूपये 3000/– प्रति हेक्टेयर तथा रूपये 15000/– से अधिक अनुदान सहायता देय नहीं होगी।
11-	सिंचित/असिंचित 10 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषकों को फूलों वाली फसलों की क्षति के लिए अनुदान सहायता।	25 प्रतिशत् फसल की क्षति होने पर रूपये 3000/– प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता देय होगी। 50 प्रतिशत् से अधिक फसल क्षति होने पर रूपये 6000/– प्रति हेक्टेयर तथा रूपये 36000/– से अधिक अनुदान सहायता देय नही होगी।
12-	भूमिहीन कृषक का अनाज जो मजदूरी के रूप में प्राप्त हुए हो उक्त अनाज अग्नि से जलने या प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने पर प्रत्येक मामले में कलेक्टर पूर्ण जांच करके संतुष्ट हो जाते है तो उन्हे रूपये 7500/– अनुदान सहायता की पात्रता होगी । जो अनाज जल कर नष्ट हुआ है उसकी मात्रा को ध्यान में रखकर कलेक्टर स्वयं विवेक से इस अधिकतम सीमा के भीतर आर्थिक अनुदान की राशि स्वीकृत कर सकेंगे।	
13-	पान के बरेजे, सब्जी, फलो के बाग तरबूजे, खरबूजे आदि की क्षति भी फसल क्षति के अन्तर्गत मानी जावेगी।	
14-	किसी ग्रामीण अथवा खातेदार के फलदार वृक्षों की फसल क्षति होने पर रूपये 500/– प्रति पेड़ अनुदान सहायता देय होगी तथा अधिकतम रूपये 20000/– आम, संतरा, नीबू के बगीचे के लिए अधिकतम रूपये 25000/– अनुदान सहायता की पात्रता होगी।	
15-	पपीता, केला, अनार, अंगूर की फसल की क्षति होने पर रूपये 8100/– प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता तथा रूपये 24000/– से अधिक नहीं होगी।	

¼,d½&^[k* Qly gkfu dh fy, _.k dh lgk;rk & प्राकृतिक प्रकोप से सम्पूर्ण फसल नष्ट होने पर प्रभावित कृषक को अनुदान सहायता के अतिरिक्त ऋण की भी सुविधा होगी, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 30000/– (रूपये तीस हजार मात्र) होगी। ऋण की सहायता मांग संख्या–58, मुख्यशीर्ष–6245, दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत के लिए ऋण के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

ukV %&

1. राहत राशि का स्केल निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए क्षति का प्रतिशत कृषक द्वारा यथास्थिति खरीफ/रबी फसलों के अन्तर्गत बोए गए कुल क्षेत्र के आधार पर परिमाणित किया जावेगा । उदाहरणार्थः–

(क)–यदि किसी कृषक ने यथास्थिति खरीफ/रबी में कोई 1 हेक्टेयर क्षेत्र बोया है, और बोये समस्त क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से 60 प्रतिशत की सीमा तक क्षतिग्रस्त हो गया, तो फसल हानि का प्रतिशत 60 प्रतिशत माना जायेगा।

(ख)– यदि किसी कृषक ने यथास्थिति खरीफ/रबी के दौरान 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल बोया हुआ है और उसमें से प्राकृतिक आपदा के कारण एक हेक्टेयर क्षेत्र में 50 प्रतिशत का नुकसान होकर शेष तीन हेक्टेयर क्षेत्रफल प्राकृतिक आपदा से अप्रभावित रहा है। तो फसल हानि का प्रतिशत 12.50 प्रतिशत माना जायेगा।

2. उक्त प्रयोजन के लिये दो फसलों के लिये दो फसलों के सिंचित खाते का एक हेक्टेयर एक फसल के सिंचित खाते के दो हेक्टेयर एवं असिंचित भूमि के खाते के तीन हेक्टेयर का अनुपात माना जायेगा अर्थात् एक फसल के सिंचित एक हेक्टेयर के खाते को दो हेक्टेयर असिंचित के बराबर तथा दो फसलों के सिंचित एक हेक्टेयर के खाते को तीन हेक्टयेर असिंचित के बराबर माना जायेगा।
3. कृषक को उपयुक्त देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल की क्षति हुई हो तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी।
4. कृषक का खातेदार होना आवश्यक नहीं है। अनुदान सहायता उस व्यक्ति को देय होगी जिसके द्वारा फसल बोई गई हो अर्थात् खातेदार की सहमति से वास्तविक कब्जेदार हो ।
5. पान बरेजा नष्ट होने पर प्रभावित कृषक को अनुदान सहायता के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अधिकतम 100 बांस भी निःशुल्क देय होंगे ।
6. फसल खलिहान में रखी हो या खेत में पड़ी हुई हो, ऐसें किसी फसलों के प्राकृतिक प्रकोपों से क्षति होती है या आग लगने से फसल नष्ट हो जाती है, तो उसके लिये आर्थिक अनुदान सहायता का मापदण्ड उपर्युक्तानुसार ही होगा ।
7. खातेदार यदि स्वयं खेती कर रहा है तो उसे, अथवा उसकी सहमति से जो व्यक्ति खेती कर रहा है, वह अनुदान सहायता का पात्र होगा ।
8. देवस्थानी भूमि का यदि किसी व्यक्ति या पुजारी को वैधानिक पट्टा दिया गया है तो पट्टेदार को सहायता अनुदान की पात्रता होगी ।
9. फसल गेरूआ रोग से प्रभावित होने पर कृषि विभाग की अनुशंसा पर अनुदान सहायता देय होगी ।

10. यदि किसी वर्ष विपरीत मौसम के कारण फसलों पर कीट प्रकोप एक महामारी का रूप ले लेता है और उस कारण यदि भौगोलिक रूप से जुड़े एक बड़े क्षेत्र में फसलों की 50 प्रतिशत से अधिक हानि होती है तो कृषि विभाग के परामर्श से पीड़ित कृषकों की राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के प्रावधानों के अनुसार सहायता देय होगी। यह सहायता विशेष अनुदान सहायता के रूप में मानी जायेगी ।

¼nk½&1 i'kgkfu ds fy, vkfFkZd lgk;rk dh jkf'k ¼pkgs og [kkrsnkj gks vFkok Hkwfeghu gks½

¼jkf'k :i;s e½

dz-	¼v½ n/kk: i'kq	jkf'k izfr i'kq
1	भैंस	16400.00
2	गाय	16400.00
3	ऊटनी	16400.00
4	याक	16400.00
5	भेड़	1650.00
6	बकरी	1650.00
	(ब) भरवाही या सूखे जानवर	
1	ऊंट	15000.00
2	घोड़ा	15000.00
3	बैल	15000.00
4	भैंसा	15000.00
5	बछड़ा	10000.00
6	गधा	10000.00
7	सुअर	10000.00
8	खच्चर / टट्टू	10000.00
9	प्राकृतिक आपदा के समय घरेलू पोल्ट्री में पल रहे पक्षियों हेतु (वह भी तब जब किसी अन्य शासकीय योजना से सहायता नही दी जा सकती हो साथ ही पशु विभाग द्वारा एवियन एन्फ्ल्युएन्जा या अन्य रोग पर दी जाने वाली सहायता के कारण इस पर भी सहायता देय नही होगी) ।	रूपये 40.00 प्रति पक्षी तथा प्रति हितग्राही को रूपये 400.00 से अधिक नही होगी।

ukV %&

1. यह सहायता मात्र आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पशु हेतु मान्य होगी। अधिकतम सीमा एक बड़े दुधारू/चार छोटे दुधारू/एक बडे सूखा या दो छोटे सूखा प्रति पशुओं प्रति परिवार तक ही सीमित है।
2. उपरोक्तानुसार अनुदान सहायता सभी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से हुई पशुहानि के लिए देय होगी। ऐसे आपदा जिसमें सर्पदंश से मृत्यु होने पर भी आर्थिक अनुदान सहायता देय होगी। इसमें आग के कारण जलने से हुई पशुहानि सम्मिलित मानी जाए ।
3. उपरोक्त अनुदान सहायता ऐसे सभी भूमि धारक/भूमिहीन कृषक/भूमिहीन कृषक मजदूर को प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
4. प्राकृतिक प्रकोप या उनसे उत्पन्न घास, भूसे या पानी की कमी के कारण पशु की मृत्यु हुई है तो इस परिपत्र के अन्तर्गत ऐसी पशुहानि के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी किन्तु ऐसे मामलों में कलेकटर पूर्ण जांच कर पशुधन विभाग से परामर्श कर तथा स्वयं के समाधान के बाद प्रमाणित करेंगे।

¼nk½&2 ¼d½ i'k f'kfoj e pkjk & प्राकृतिक आपदा के समय पालतु पशुओं को पशुचारा हेतु रूपये 32 प्रति पशु प्रतिदिन बड़े पशुओं के लिए तथा रूपये 16 प्रति पशु प्रतिदिन छोटे पशुओं के लिए प्रभावित हितग्राहियों को सहायता देय होगी राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारण अनुसार 15 दिवस से अधिक नही होगी।

¼[k½ i'k f'kfoj e i;ty lIykb & राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित 15 दिवस हेतु वास्तविक व्यय।

¼x½ nok vkj oDlhu & राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित और अनुशंसा अनुसार पशु जनगणना के अनुरूप तथा समक्ष प्राधिकारी से सत्यापित ।

¼?k½ i'k pkjk ifjogu & राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित अनुशंसा अनुसार पशु जनगणना के अनुरूप ।

ukV %&

(1) उक्त प्रयोजन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पशुचारे में कमी होने पर कृषि एवं पशुपालन विभाग की अनुशंसा पर उक्त राशि निर्धारित सीमा के अन्तर्गत सहायता के रूप में देय होगी ।
(2) बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा के समय प्रभावित हितग्राहियों के साथ पशु भी प्रभावित होते हैं, इस संबंध में पशुपालन विभाग के परामर्श पर उक्त सहायता राशि देय होगी ।

¼rhu½ u"V gq, edkuk d¢ fy, vkfFkZd vuqnku lgk;rk ½&

किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया हो या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ हो तो निम्नानुसार आर्थिक अनुदान सहायता दी जा सकेगी :

¼1½ i.kZ u"V iDdk@dPpk edku ½

पक्का मकान पूर्णतः नष्ट हो जाने पर आकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 35000.00 (रूपये पैतीस हजार) तक प्रति मकान सहायता राशि देय हागी।

कच्चा मकान पूर्णतः नष्ट हो जाने पर आकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 15000.00 (रू. पंद्रह हजार) तक प्रति मकान सहायता राशि देय होगा। पूर्णतः ध्वस्त (नष्ट) हो गए हों तो पूर्ण मकान नष्ट होना माना जाएगा।

¼2½ vkf'kd {kfrxLr ¼iDdk edku½

मकान अंशतः क्षतिग्रस्त होने पर आकलन के आधार पर अधितम रूपये 6300/– (रूपये छः हजार तीन सौ) तक प्रति मकान सहायता अनुदान दिया जाएगा।

¼3½ vkf'kd {kfrxLr ¼dPpk edku½

मकान अंशतः क्षतिग्रस्त होने पर आकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 3200/– (रूपये तीन हजार दो सौ) प्रति मकान सहायता अनुदान किया जाएगा।

¼4½ lk/kkj.k {kfr

जिन मकानों में बहुत साधारण क्षति हुई है और कुछ मरम्मत से ठीक किये जा सकते हैं उन मकानों की मरम्मत हेतु अधिकतम रूपये 1900/– (रूपये एक हजार नौ सौ) प्रति मकान सहायता अनुदान देय होगा।

¼5½ >kiM+h d¢ {kfrxLr

प्राकृतिक प्रकोपों से अस्थाई आवास, मिट्टी, छप्पर, गीली मिट्टी से बना या प्लास्टिक सीट से बनी झोपड़ी के क्षतिग्रस्त होने पर रूपये 2500/– प्रति झोपड़ी अनुदान सहायता प्रदान की जाय। उक्त झोपड़ी स्वयं की आवास भूमि या शासकीय भूमि पर बना हो सभी को अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

¼6½ i'kqx`g tk vkokl grq layXu gk

प्राकृतिक प्रकोपों से पशुगृह जो आवास के साथ संलग्न है, क्षतिग्रस्त होता है तो रूपये 1250/– (रूपये एक हजार दो सौ पचास) मात्र प्रति पशुगृह अनुदान सहायता प्रदान की जाय।

¼pkj½&1 diM+k ,o crZuk dh {kfr d¢ fy, vkfFkZd vuqnku lgk;rk

प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना, नहर व तालाब फूटने के कारण मकान पूर्ण नष्ट होने/बह जाने, एक सप्ताह तक जलमग्न रहने पर यदि संबंधित पीड़ित परिवार के दैनिक उपयोग के कपडे नष्ट होने पर रूपये 1300/– (रूपये एक

हजार तीन सौ) प्रति परिवार एवं बर्तनों की हानि हुई है तो प्रति परिवार रूपये 1400.00 (रूपये एक हजार चार सौ) तक की अनुदान सहायता दी जाएगी ।

//11//

¼pkj½&2 ikdfrd vkink ls c?kj gq, 0;fDr dk vuqnku lgk;rk

प्राकृतिक आपदा बाढ़, तूफान, अग्निदुर्घटना, नहर या तालाब के फूटने से मकान नष्ट होने के साथ–साथ यदि संबंधित पीड़ित परिवार के दैनिक उपयोगी कपडे एवं बर्तनों की क्षति होने पर उक्त परिवार बेघर होने की स्थिति में उक्त परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को रूपये 30/– प्रतिदिन तथा बच्चों को रूपये 25/– प्रतिदिन अनुदान सहायता दी जायेगी। उक्त सहायता ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होगी, जो राहत शिविरों में नहीं रह रहे है।

¼ikp½ er 0;fDr d ifjokj@fudVre okfjl dk vkfFkd lgk;rk vuqnku

(1) प्राकृतिक आपदा, नैसर्गिम विपत्तियों के कारण या सर्प, बिच्छु, गुहेरा या मधुमक्खी के काटने, नदी, तालाब, बांध, कुंआ, नहर, नाला में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना एवं रसोई गैस का सिलेण्डर फटने, खदान धसकने से मृत्यु हो जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को *: i;s 150000@& ¼: i;s ,d yk[k ipkl gtkj)* की सहायता दी जाएगी। इसके लिए मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर मृत्यु होने एवं उसके कारणों की जांच की जाएगी और जहां संभव हो डॉक्टर से मृतक का परीक्षण भी कराया जाएगा। मृत्यु होना पाए जाने पर मृतक के परिवार के सदस्य/ निकटतम वारिस को उक्त धनराशि की अनुदान सहायता कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाएगी। आग से जलने के कारण मृत्यु होने पर भी इसी अनुसार सहायता दिया जाएगा। 'मृत व्यक्ति' में बच्चा भी शामिल समझा जाएगा। परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने पर वारिस को सहायता अनुदान प्रत्येक मृतक के मान से देय होगा। बिजली गिरना नैसर्गिम विपत्ति है। प्रभावित हितग्रहियों को अनुदान सहायता प्रदान की जावें।

(2) बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर मृतकों के आश्रितों को रूपये 75000/– (रूपये पछत्तर हजार) की आर्थिक सहायता प्रति मृतक के मान से देय होगी ।

ukV %&

1. राज्य के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से अपने गृह जिले के अतिरिक्त अन्य जिले में होती है तो मृतक व्यक्ति के परिवार को उसके मूल गृह जिले से अनुदान सहायता प्रदान की जाये। मृतक स्थान से घटना का सत्यापन प्राप्त कर कलेक्टर अनुदान सहायता की स्वीकृति देंवे।
2. आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

3. राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों में उपरोक्त आपदाओं के समय किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस राज्य से घटना स्थल का प्रतिवेदन प्राप्त कर मृत व्यक्ति के मूल निवास जिले में मृतक परिवार को अनुदान सहायता प्रदान की जावे।

4. ऐसे भारतीय नागरिक जो अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिये है राज्य में उपरोक्त आपदाओं से मृत्यु होती है तो उनके परिवार को आर्थिक अनुदान सहायता की पात्रता नही होगी।
5. उपरोक्त प्राकृतिक आपदा के समय किसी विदेशी नागरिक की मृत्यु होती है तो उपरोक्त आर्थिक अनुदान सहायता की पात्रता नही होगी।
6. आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, बाढ़ की स्थिति के दौरान पेड़/डंगाल के गिरने अथवा विद्युत प्रवाह/तार से मृत्यु होती है तो दैवीय विपत्ति माना जायें।

¼N½ 'kkfjfjd vax gkfu dh fy, vkfFkd lgk;rk

(1) प्राकृतिक प्रकोप बाढ़, तूफान, भूकम्प, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भू–स्खलन के साथ–साथ, आकाशीय बिजली गिरने या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण अंग की हानि हुई जैसे हाथ, पैर या दोनों आंखों की हानि 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अक्षमता हुई हो तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को रूपये 43500.00 (रूपये तिरालिस हजार पॉच सौ) की अनुदान सहायता दी जाएगी। प्रमुख चिकित्सक या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के चिकित्सकों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किये जाने पर कलेक्टर अनुदान सहायता की स्वीकृति देंगे ।

(2) प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण अंग की हानि हुई जैसे हाथ, पैर या दोनों आंखों की हानि 80 प्रतिशत से अधिक अक्षमता हुई हो तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को रूपये 62000.00 (रूपये बासठ हजार) की अनुदान सहायता दी जाएगी। प्रमुख चिकित्सक या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के चिकित्सकों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किये जाने पर कलेक्टर अनुदान सहायता की स्वीकृति देंगे ।

(3) xaHkhj 'kkfjfjd {kfr ftle 0;fDr ,d lIrkg ls vf/kd vLirky esa Hkjrh jgs प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति के हाथ, पैर में फ्रेक्चर जैसे गंभीर शारीरिक क्षति होने पर जिलाध्यक्ष, प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए रूपये 9300/– (रूपये नौ हजार तीन सौ) तक आर्थिक सहायता स्वीकृत करेंगे।

(4) xaHkhj 'kkfjfjd {kfr ftle 0;fDr ,d lIrkg ls de vLirky esa Hkjrh jgs प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति के हाथ, पैर में फ्रेक्चर जैसे गंभीर शारिरिक क्षति होने पर जिलाध्यक्ष, प्रमुख

चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए रूपये 3100/- (रूपये तीन हजार एक सौ) तक आर्थिक सहायता स्वीकृत करेंगे।

//13//

¼lkr½ कुम्हार के भट्टे में ईट तथा खपरे बरबाद होने पर एवं कुम्हारों के भट्टे में ईंट तथा खपरों के अलावा अन्य मिट्टी के बर्तन बरबाद होने पर हानि के मूल्यांकन के आधार पर रूपये 3000.00 (रूपये तीन हजार) तक प्रति कुम्हार तथा आंशिक क्षति होने पर रूपये 1000/- (रूपये एक हजार) तक प्रति कुम्हार सहायता अनुदान का भुगतान क्षति की मात्रा के अनुसार किया जाएगा ।

¼vkB½ <u>vfXu ihfM+r nqdkunkjksa dks lgk;rk</u>

अग्नि पीड़ितों को जिनकी दुकाने अग्नि दुर्घटना में नष्ट हो जाती है, निम्न प्रतिबंधों के साथ सहायता एवं ऋण उपलब्ध कराए जायेंगे -

(1) अग्नि पीड़ित दुकानदारों को अधिकतम रूपये 12000.00 (रूपये बारह हजार) तक प्रति दुकानदार आर्थिक सहायता एवं रूपये 50000/- (रूपये पचास हजार) तक के ऋण की पात्रता होगी ।

(2) सहायता तथा ऋण केवल ऐसे छोटे दुकानदारों को स्वीकृत किया जा सकेगा जिनके दुकानों का अग्नि बीमा न हो तथा दुकान के जल जाने से दुकानदार के पास जीविकोपार्जन के अन्य सभी साधनों से वार्षिक आय रूपये 150000/- (रूपये एक लाख पचास हजार) से अधिक न हो ।

(3) उपर्युक्त ऋण मांग संख्या-58-मुख्यशीर्ष 6245-दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत के लिए कर्जे के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

(4) उपरोक्तानुसार सहायता एवं ऋण अग्नि पीड़ित दुकानदारों के अलावा बाढ़ पीड़ित दुकानदारों को भी देय होगी ।

¼uk½ हाथ करघा बुनकरों के औजार लुम पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर रूपये 3000/- (रूपये तीन हजार) मात्र तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर रूपये 1000/- (रूपये एक हजार) मात्र एवं धागा कच्चा माल/निर्माणाधीन माल इत्यादि नष्ट होने पर रूपये 3000/- (रूपये तीन हजार) मात्र प्रति कारीगर राहत सहायता देय होगी।

jkgr] [kk| vkSj cpko] lQkbZ dk;Z

¼nl½ 1. <u>vLFkk;h jkgr dSEiksa esa fu%'kqYd jgus ,oa Hkkstu dh O;oLFkk</u>

प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण पीड़ितों को तत्काल राहत के रूप में अस्थायी कैम्पों में रखा जाना आवश्यक हो तो कलेक्टर ऐसी स्थिति में अधिकतम 15 दिनों तक अस्थायी कैम्प चलाने की स्वीकृति दे सकेंगे। इससे अधिक 30 दिनों तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचन निधि के संचालन हेतु गठित

समिति के अनुमोदन से राहत कैम्प संचालित किये जा सकेंगे। इस प्रकार अस्थायी कैम्पों को चलाने के लिए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रतिदिन रूपये 30/– (रूपये तीस) भोजन आदि की व्यवस्था हेतु व्यय किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अस्थायी कैम्प के लिए की गई व्यवस्था पर हुए वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति करने के लिए कलेक्टर अधिकृत रहेंगे।

//14//

2- ,;j Mkfix & राज्य कार्यपालिक समिति की अनुशंसा अनुसार या रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मूल्य दर पर राहत कार्य का वास्तविक व्यय।

3- vkikrdky esa ih;ty ifjogu & राज्य कार्यपालिक समिति के अनुमोदन अनुसार निर्धारित 30 दिवस के लिए सूखा की स्थिति में 90 दिवस तक पेयजल परिवहन का वास्तविक व्यय।

4- lkoZtfud LFkyksa ls eyok gVkuk & राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित
मूल्यांकित वास्तविक व्यय कार्य प्रारंभ से 30 दिवस के अन्दर प्राकृतिक आपदा के समय सार्वजनिक स्थलों से मलवा हटाने पर होने वाला वास्तविक व्यय।

5- ck<+ ty fudklh & बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर आवास एवं अन्य सार्वजनिक स्थलो से जल निकासी राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकित वास्तविक व्यय।

6- ¼1½ ykokfjl 'koksa dk vfre laLdkj ds fy, lgk;rk & नैसर्गिम विपत्तियों के कारण हुई जनहानि के ऐसे मामलो में लावारिस शव प्राप्त होने पर ऐसे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार स्थानीय निकाय यथास्थिति ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा, और इस प्रकार सम्पन्न किये गये अंतिम संस्कारों के लिए राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकित अनुसार वास्तविक व्यय।

¼2½ er i'kqvksa ds fuoZru dh 0;oLFkk & नैसर्गिम विपत्तियों के कारण हुई पशुहानि के मामलो में मृत पशुओं का त्वरित निर्वतन कराने के लिए शासकीय अमले का उपयोग किया जाय। मृत पशुओं के निर्वतन के लिये उपगत किये जाने वाले व्यय के लिये राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकित अनुसार वास्तविक व्यय।

7- [kkst ,oa cpko dk;Z – नैसर्गिम विपत्तियॉ जैसे बाढ़, अतिवृष्टि, ऑधी–तूफान, भूकम्प आदि की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों की खोज एवं बचाव कार्य राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकित अनुसार वास्तविक व्यय।

¼X;kjg½&¼1½ ck<+ o rwQku ls izHkkfor eNqvkjksa dks nh tkus okyh lgk;rk & बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछली पकड़ने वालों की नावों (जो मशीन से संचालित न हों व जिनका बीमा न कराया गया हो), डोंगियों, मछली पकड़ने के तथा अन्य उपकरणों को हुई हानि के लिए निम्नानुसार सहायता अनुदान दिया जाएगा –

1	नाव पूर्ण नष्ट होने पर	रूपये 7000/– तक
2	नाव आंशिक क्षतिग्रस्त	रूपये 3000/– तक
3	जाल पूर्ण नष्ट होने पर	रूपये 1850/– तक
4	जाल आंशिक क्षति होने पर	रूपये 1500/– तक

//15//

¼2½ <u>eRL; ikyu i{k=k d ejEer ,o iuLFkkiu gr vunku lgk;rk</u> &
प्राकृतिक आपदा के समय लघु/सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीनों को मत्स्य बीज प्रक्षेत्र हेतु रू. 6000/– (रूपये छः हजार) प्रति हेक्टेयर सहायता अनुदान दिया जावेगा, तथा अधिकतम रूपये 22500/– (रूपये बाईस हजार पॉच सौ) से अधिक नहीं होगी उक्त सहायता अन्य शासकीय योजना से सहायता नही मिलने पर ही देय होगी।

<u>ukV</u> %&

(1) उपरोक्त सहायता राशि सभी प्रकार की आपदायें के समय हुई क्षति के लिए देय होगी परन्तु ऐसे कृषक को सहायता अनुदान प्राप्त होगी, जो उक्त मत्स्य पालन अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हों ।

(2) इस संबंध में मत्स्य पालन विभाग के द्वारा नुकसान का आकलन कराया जाकर विभाग की अनुशंसा के अनुसार ही उक्त सहायता राशि प्रदान की जावेगी ।

(3) ऐसे मत्स्य बीज प्रक्षेत्र जिनका बीमा कराया गया हो या राज्य शासन, सहकारी संस्थायें, ग्राम पंचायतों से निविदा से लिये गये प्रक्षेत्रों के लिए उक्त सहायता राशि देय नहीं होगी ।

¼ckjg½ <u>d, ;k uydi d u"V gku ij nh tku okyh lgk;rk</u> &
प्राकृतिक प्रकोप से प्राइवेट (निजी) कुंआ यदि टूट–फूट या धंस जाता है तो उसके मालिक को हानि के मूल्यांकन के आधार पर रूपये 10000.00 (रूपये दस हजार) तथा प्राईवेट या निजी नलकूप टूट–फूट या पूर्ण नष्ट होने हो जाने पर उसके मालिक को हानि के मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम रूपये 20000/– (रूपये बीस हजार) तक अनुदान सहायता दी जावे।

¼rjg½ <u>cyxkMh rFkk vU; df"k midj.k u"V gku ij vkfFkd lgk;rk</u> & आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा अन्य कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर रूपये 7500.00 (रूपये सात हजार पॉच सौ) तक अनुदान सहायता वास्तविक आकलन के आधार पद देय होगी ।

¼pkng½ आपदा के समय निः–शक्त वृद्ध व्यक्ति को 30/– (रूपये तीस) प्रतिदिन एवं निराश्रित बच्चों को 25/– (रूपये पच्चीस) प्रतिदिन की दर से देय होगी ।

<u>ukV</u> %&

(1) उपरोक्त सहायता राशि सूखा, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा के समय देय होगी ।

(2) उक्त सहायता राशि की स्वीकृति पंचायतों की अनुशंसा के आधार पर की जावे ।

//16//

Qke & ,d*

¼dfMdk & 7 nf[k;s½

jktLo iqLrd ifji= 6&4

यह करारनामा आज दिनांक .... को, प्रथम पक्ष राज्यपाल, छत्तीसगढ़ (जो इसके आगे 'राज्यपाल' कहलाएंगे और जिस अभिव्यक्ति में विषम या प्रसंग के विपरीत न होने पर, उनके पदानुवर्ती सम्मिलित होंगे) और द्वितीय पक्ष श्री .... पिता का नाम .... निवास स्थान ...., तहसील – .... जिला .... (जो इसके आगे 'ऋण–गृहिता' कहलाएगा, जिस अभिव्यक्ति में विषय या प्रसंग के विपरीत होने पर उसके उत्तराधिकारी निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और स्वत्यार्पण–गृहिता सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है ।

चूंकि ऋण–गृहिता .... ने के कारण आई आपदा के निवारण के हेतु .... रूपए के ऋण के लिए राज्यपाल को आवेदन दिया है ।

और चूंकि राज्यपाल निम्नलिखित अनुबन्धों और प्रतिबन्धों के अधीन ऋण देने के लिए सहमत है ।

अतएव अब यह करारनामा इस बात का साक्षी है किः–

¼1½ ऋण–गृहिता .... रूपए (रूपए ....) की उक्त रकम का उपयोग .... प्रयोजन के लिए करेगा और उसका या उसके किसी भी भाग का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

¼2½ ऋण–गृहिता .... रूपए की रकम उस पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित .... सात समान वार्षिक किश्तों में प्रतिवर्ष दिनांक .... को या उसके पहले भुगतान करेगा, ऐसी पहली किश्त दिनांक................. को दये होगी ।

¼3½ उपर्युक्त ऋण के प्रतिमूल्य में ऋण–गृहिता इसके द्वारा .... को इस अभिप्राय से ही ऐसी संपूर्ण संपत्ति राज्यपाल को देय .... रूपए की उक्त रकम और उस पर लगने वाले ब्याज के चुकाने के लिए प्रतिभूमि होगी, साधारण बंधक के द्वारा गिरवी रखता है और भारित करता है ।

¼4½ प्रतिबंध (2) के अनुसार नियत दिनांक पर समान किशतों का चुकारा न होने अथवा ऋण–गृहिता द्वारा इस करारनामें में किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर, ऐसी त्रुटि या उल्लंघन के दिनांक को अवशिष्ट ऋण की सम्पूर्ण धनराशि, उस पर देय ब्याज सहित, तत्काल वसूली योग्य हो जाएगी ।

¼5½ इस करारनामें के अन्तर्गत ऋण–गृहिता से प्राप्त कोई भी रकम भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

¼6½ इस लिखतम पर दये मुद्रा शुल्क का भुगतान राज्यपाल द्वारा किया जाएगा । इसकी साक्षी में इसके पक्षकारों ने, अपने हस्ताक्षर के सामने निर्दिष्ट दिनांक और वर्ष को इस करारनामें पर अपने हस्ताक्षर किए ।

1. ..... राज्यपाल की ओर से
2. ..... दिनांक .....
1. ..... ऋण–गृहिता के हस्ताक्षर
2. ..... दिनांक .....

चूंकि राज्यपाल ने उक्त करारनामें के निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए ऋण–गृहिता प्रतिभूति मांगी है,

अतएव उपर्युक्त रकम के दिये जाने के प्रतिमूल्य में और गृहिता के निवेदन पर मैं ..... पिता का नाम ..... निवास स्थान ..... तहसील ..... जिला .....ऋण गृहिता का प्रतिभू इसके द्वारा इसके लिए सहमत हूं कि इस करारनामें के अन्तर्गत ऋण–गृहिता द्वारा देय कोई भी रकम मांगी जाने पर तथा उसके द्वारा दी जाने पर मैं उसका भुगतान करूंगा और इसके द्वारा मैं, अपने आपको, अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों को ऐसे भुगतान के लिए आबद्ध करता हूं । मैं इस बात के लिए भी सहमत हूं कि इसके अन्तर्गत मेरे द्वारा देय कोई भी रकम भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

आज दिनांक ..... को निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये :

1. .....
2. ..... प्रतिभू के हस्ताक्षर

Qkel & ^nk*

1.	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम	
2.	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति कृषक है अथवा गैर कृषक? यदि कृषक है तो कृषि भूमि का पूर्ण ब्यौरा	
3.	फसल की हुई हानि का पूर्ण ब्यौरा	
4.	आग, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप या ओलों से नष्ट हुए घर का, कमरों की लंबाई, चौड़ाई और कमरों के उपयोग में लाने का प्रयोजन देते हुए ब्यौरेवार पूर्ण विवरण	
5.	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति के पास पशु है ? यदि हां तो पशु जिनकी हानि हुई है, उनका ब्यौरावार पूर्ण विवरण	
6.	पूर्ण औचित्य बतलाते हुए, बांस, बल्ली की मांग	
7.	उस कूप का नाम जहां से बांस एवं बल्ली, सुविधापूर्वक दिया जा सकता हो	
8.	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति निराश्रित है और क्या उसका कोई ऐसा संबंधी या मित्र नहीं है जो उसकी सहायता कर सके ?	
9.	पूर्ण औचित्य बतलाते हुए वित्तीय सहायता जो तत्काल दी जानी चाहिए उसका ब्यौरेवार विवरण	
10.	क्या स्थानीय दान के जरिये सहायता की व्यवस्था संभव नहीं है ?	
11.	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति ऋण चाहता है और क्या यह कोई शोधक्षम प्रतिभूति देने के लिए तैयार है ?	
12.	कितना ऋण मांगा है? ऋण दिये जाने का पूर्ण औचित्य बताया जाना चाहिए	
13.	अन्य विवरण	

jktLo i|Lrd ifji= 6&4
Qke| & ^rhu*

क्र.	व्यक्ति का नाम उसके पिता का नाम निवास स्थान	उस ग्राम का नाम पटवारी हल्के का नाम जहां नुकसानी हुई है	क्षति / नुकसानी किस प्रकार की हुई इसका पूर्ण विवरण दिया जाये	आवेदन या प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख
1	2	3	4	5

मौके की जांच की तारीख	कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजने की तारीख	शासन द्वारा निर्धारित सहायता के अन्तर्गत की गई सहायता का विवरण एवं सहायता उपलब्ध कराने की दिनांक	जन सहयोग के रूप में उपलब्ध हुई सहायता एवं उसके वितरण का विवरण तथा दी गई सहायता का दिनांक	कैफियत (रिमार्क्स)
6	7	8	9	10